यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

रण संख्या – 57/2017

यर दिनांक – 20/07/2017

र्णय दिनांक – 27/02/2018

अनवान

1. रामलाल पिता मांगु भील निवासी रघुनाथपुरा, तह0– रेलमगरा

वादी

बनाम

1. प्रभु पिता भेरा भील निवासी रघुनाथपुरा, तह0– रेलमगरा
2. मांगी बेवा भेरा भील निवासी रघुनाथपुरा, तह0– रेलमगरा
3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी द्वारा वाद बाबत् विभाजन जरिये अधिवक्ता के प्रस्तुत किया गया कि ग्राम न्देसर कला वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की आराजी ख्या 585 कुल किता –01 कुल रकबा 01–16 बीघा कृषि भूमियां स्थित है। जिसका सीलदार रेलमगरा द्वारा विभाजन प्रस्ताव फहरिस्त मय रिपोर्ट के प्रस्तुत किया गया। ी के अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रस्तुत विभाजन योजना पर सहमति व्यक्त की गई। ी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य तहसीलदार मगरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन योजना अनुसार निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:–

विभाजन प्रस्ताव

सं.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1	रामलाल पिता मांगु भील सा. देह खातेदार	585 मीन	00–18	0.27
	योग	**किता –01**	**00–18**	**0.27**
	प्रभू पिता भेरा 1/2, मांगी बेवा भेरा 1/2 सा. देह खातेदार	585/1	00–18	0.27
		किता –01	**00–18**	**0.27**

टर

री)

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक अंकन हेतु सीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। तहसील से प्राप्त विभाजन योजना निर्णय का न हिस्सा रहेगा। यदि किसी प्रकार से भूमि रहन हो तो उसे यथावत रखा जावें। ी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की वें।

निर्णय आज दिनांक 27/02/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे लास सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा